उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 379–पें0एवंआर0–28/पाकालि/17–23–पें0एवंआर0/15 दिनांकः 28 अप्रैल, 2017

विषयः **पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से विद्युत शुल्क जमा कराये जाने एवं उनको चिकित्सा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में।**

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पेंशन वितरण इकाई,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
एवं सहयोगी वितरण कम्पनियाँ।

जैसा कि आप अवगत है, पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14.01.2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य हैं तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14.01.2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का, मार्च 2016 से देय भुगतान राजकीय कोषागारों द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त मदों में भुगतान स्वीकार करने अथवा भुगतान करने की परिपाटी शासकीय विभागों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को न होने के कारण कोषागारों द्वारा इस मद में कटौती या भुगतान सम्भव नहीं है। अतः न तो पेंशन से इनके विद्युत देयों की कटौती की जा रही है और न ही देय चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इसी कारण से अधोअंकित प्रस्तर–2 एवं 3 में उल्लिखित व्यवस्था का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत पेंशन का भुगतान ट्रेजरी से किये जाने के पूर्व के एवं नये समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से एक निश्चित राजस्व वसूली के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2015 से पूर्व की दरसूची एल0एम0वी–10 के प्रस्तर 2ए में दर्शायी गयी श्रेणीवार निर्धारित दर अन्तरिम धनराशि के रूप में सम्बन्धित पेंशन वितरण खण्डों में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन आदेश संख्या के सापेक्ष जमा कराकर सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को रसीद जारी की जाने के आदेश पत्र संख्या–421–एच.सी./टैरिफ/एलएमवी–10/2016–17/व0–1, दिनांक 16.11.16 द्वारा निर्गत किए गए हैं।

3. पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्तों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं0–1201–पें0एवंआर0/पाकालि/16 दिनांक 16.12.16 में इंगित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे, प्रतिमाह चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खाते में अन्तरित कराये जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं।

4. विभिन्न पेंशनर्स संगठनों/कर्मचारी संगठनों तथा तमाम पेंशनरों से लगातार प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप अधिसंख्य इकाईयों द्वारा पेंशनर्स के विद्युत देयों को जमा कराने में टालमटोल किया जा रहा है जिससे अधिकांश पेंशनर्स अपना विद्युत शुल्क नहीं जमा कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन पेंशनर्स ने अपना विद्युत शुल्क जमा कर दिया है उनको भी मार्च 2016 से अब तक चिकित्सा भत्ते का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है।

5. उपरोक्त स्थिति निश्चय ही अत्यन्त खेदजनक है अतः कारपोरेशन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित पेंशनर्स का विद्युत शुल्क जमा कराये जाने तथा चिकित्सा भत्ते का भुगतान सीधे पेंशनर के खाते में अन्तरित कराये जाने की कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित करें। अन्यथा आगे इस सम्बन्ध में व्यथा (ग्रीवान्स) प्राप्त होने पर सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु विवश होना पडेगा।

क्रमशः...2...

6. विद्युत देयों की वसूली तथा चिकित्सा भत्तें के भुगतान सम्बन्धी मदों का समुचित लेखांकन एवं सम्बन्धित अभिलेखों का उचित रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जाय।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (i)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (ii)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों द्वारा उपरोक्त आदेशों का नैष्ठिक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें :–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)

संख्या : (iii)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2017 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103–कीर्ति अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुईयन, 12–आफ, स्टेशन रोड, लखनऊ।
7. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (उ0प्र0), 86/92ख, रिसालदार पार्क, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18–बी, सेक्टर–ए, महानगर, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाईल।

(एस0पी0 पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0)